



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243964
CG-DL-E-28022023-243964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944

No. 118]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 03/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 147(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) अनुसूची I- 2.5% में, क्रम संख्या 91 क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो”;

- (ii) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";

- (iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 जिसे सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 03/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

- in Schedule I –2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;
- in Schedule II –6%, after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“186A	8214	Pencil sharpeners”;

- in Schedule III –9%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words “[other than pencil sharpeners]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th day of June, 2017 and was last amended by notification No. 12/2022 –Central Tax (Rate) dated the 30th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 916(E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 03/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 148(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) अनुसूची I- 5% में, क्रम संख्या 91क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
“गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो”;
- (ii) अनुसूची II - 12% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";

- (iii) अनुसूची III-18% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "पेंसिल शार्पनर्स के अलावा" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 जिसे सा.का.नि. 917 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 03/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 148(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- i. in Schedule I –5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;

- ii. in Schedule II –12%, after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“186A	8214	Pencil sharpeners”;

- iii. in Schedule III –18%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words “[other than pencil sharpeners]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 12/2022 –Integrated Tax (Rate), dated the 30th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.917(E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 03/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 149(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) अनुसूची I- 2.5% में, क्रम संख्या 91क, के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो”;

- (ii) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";

- (iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवसर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 जिसे सा.का.नि. 918 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 03/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- in Schedule I –2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;
- in Schedule II –6%, after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“186A	8214	Pencil sharpeners”;

- in Schedule III –9%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words “[other than pencil sharpeners]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No.12/2022–Union Territory Tax (Rate), dated the 30th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 918(E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 04/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 150(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल से भिन्न";

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवसर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 919(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 04/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 150(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 94, in Column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely: -

“(iii) Rab, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th day of June, 2017 and was last amended by notification No. 13/2022 –Central Tax (Rate), dated the 30th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 919(E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 04/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 151(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल से भिन्न ";

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2022-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 920(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 04/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 94, in Column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely: -

“(iii) Rab, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: - The principal notification No.2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th day of June, 2017 and was last amended by notification No. 13/2022 – Integrated Tax (Rate), dated the 30th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 920(E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 04/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 152(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 711 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल से भिन्न";

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2022- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 921(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 04/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 152(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017- Union Territory (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 94, in Column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely: -

“(iii) Rab, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: - The principal notification No.2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No.13/2022-Union Territory Tax (Rate), dated the 30th December, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 921(E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 01/2023-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.नि. 153(अ).— माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 41क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"कोल वाशरी को अथवा कोल वाशरी द्वारा आपूर्ति किया गया कोल रिजेक्ट्स, जो कि उस कोयले से निकला हुआ हो जिस पर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान किया गया हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया गया हो"।

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2021-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 सा.का.नि. 901 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 1/ 2023-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against Sl. No. 41A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Coal rejects supplied to a coal washery or by a coal washery, arising out of coal on which compensation cess has been paid and input tax credit thereof has not been availed by any person".

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: -The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate) dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification No. 2/2021-Compensation Cess (Rate), dated the 28th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R.901(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 14/2023-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 154(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 104/94-सीमाशुल्क, दिनांक 16 मार्च, 1994, जिसे सा.का.नि. 319 (अ), दिनांक 16 मार्च, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तःस्थापित किया जाएगा यथा:-
"स्पष्टीकरण.- आयात के समय कंटेनर पर पहले से लगे हुए टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर जैसे उपकरण भी इस अधिसूचना के तहत उक्त कंटेनर के लिए उपलब्ध सीमा शुल्क और एकीकृत कर से छूट के लिए पात्र होंगे।।"

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 104/94-सीमाशुल्क, दिनांक 16 मार्च, 1994, को सा.का.नि. 319 (अ), दिनांक 16 मार्च, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 14/2023-Customs

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 104/94-Customs, dated the 16th March, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 319(E), dated the 16th March, 1994, namely:-

In the said notification, after the Second proviso, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation.- A device such as tag, tracking device or data logger already affixed on the container at the time of import shall also be eligible for exemption from the duty of customs and the integrated tax as is available to the said container under this notification."

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: - The principal notification No. 104/94-Customs, dated the 16th March, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 319(E), dated the 16th March, 1994 and was last amended, *vide* notification No. 43/2017-Customs dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017.